



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-26/2019- 505 दिनांक : 28.08.2020

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत पौध बीज उद्यान (Seedling Seed Orchard) की स्थापना, बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **रु0 13.895 (तेरह लाख नैवासी हजार पांच सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-50/2019-38/स्वी0 व0प0 दिनांक 06.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-50/2019-20/आ0 व0प0 दिनांक 11.08.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 अन्य व्यय, उप शीर्ष-39 स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 13.895 (तेरह लाख नैवासी हजार पांच सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई | विपत्र कोड | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी | 19S240601101390103 | 11.410 |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601101390323 | 2.485 |
| कुल :- | | 13.895 |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2(क) एवं 2(ख)** तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101390103 एवं 19S240601101390323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।
8. साथ ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से सीड़ आर्चड में रोपित किए जाने वाले पौधों की प्रजाति एवं उसके बीज श्रोत का अनुमोदन भी प्राप्त करके राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिन्हित किए गए बीज उत्पादन क्षेत्र के संबंध में स्थल, उसमें उपलब्ध वृक्षों की संख्या, उसकी स्थिति एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर उसे बीज उत्पादन क्षेत्र बनाने योग्य मापदण्डों पर समीक्षा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



12. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं० 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
- 15(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।
- (II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।
- (III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रतर राशि दी जाय।
- (IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।
- (VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।
- (VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।
- (VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।
- (IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।
- (X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।
- (XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

16. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-26/2019-505 दिनांक- 28.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ दुमका/ मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/दुमका/ मेदिनीनगर/इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-26/2019-505 दिनांक- 28.08.2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/ धनबाद/ हजारीबाग/ गढ़वा/ देवघर/ गिरिडीह/ गोड्डा/ चतरा/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत पौध बीज उद्यान Seedling Seed Orchard की स्थापना हेतु समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे० में) | वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में) | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | 29717.00 | 3075.00 | 32792.00 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा | 10 | 2.972 | 0.307 | 3.279 |
| 2 | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर | 10 | 2.971 | 0.308 | 3.279 |
| कुल योग :- | | 20 | 5.943 | 0.615 | 6.558 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना हेतु समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

| क्र० सं० | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम | भौतिक लक्ष्य (हे० में) | वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में) | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|
| | | | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
| | | | 6432.25 | 2200.00 | 8632.25 |
| i | ii | iii | iv | v | vi |
| 1 | रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़ | 10 | 0.643 | 0.220 | 0.863 |
| 2 | धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद | 5 | 0.322 | 0.110 | 0.432 |
| 3 | हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग | 10 | 0.643 | 0.220 | 0.863 |
| 4 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा | 10 | 0.643 | 0.220 | 0.863 |
| 5 | सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर | 10 | 0.643 | 0.220 | 0.863 |
| 6 | गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह | 5 | 0.322 | 0.110 | 0.432 |
| 7 | गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा | 5 | 0.322 | 0.110 | 0.432 |
| 8 | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा | 10 | 0.643 | 0.220 | 0.863 |
| 9 | मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर | 20 | 1.286 | 0.440 | 1.726 |
| कुल योग :- | | 85 | 5.467 | 1.870 | 7.337 |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

योजना का नाम : पौध बीज उद्यान Seedling Seed Orchard की स्थापना
(न्यूनतम 10 हे० क्षेत्रफल हेतु) कार्य दर

रकबा : 1 हे०

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 257.29

पौधों की संख्या - 1000 प्रति हे०

| क्र० सं० | कार्य (कार्यविवरण) | कार्य | मानव दिवस | मजदूरी (रु० में) | उपकरण (रु० में) | कुल व्यय (रु० में) | प्रतिफल |
|----------|---|-------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|---------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii |
| (A) | वित्तीय वर्ष 2020-21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 257.29 | | | | | | |
| 1 | अंश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित गुणाढ्य वृक्ष वार अलग अलग बेड में पौधा तैयार करना। | हे० | 18 | 4631.22 | 0.00 | 4631.22 | |
| 2 | Randomized design अनुसार वृक्षारोपण। कृपया नोट देखें। | हे० | 45 | 11578.05 | 0.00 | 11578.05 | |
| 3 | दो कोड़नी निकौनी | हे० | 25 | 6432.25 | 0.00 | 6432.25 | |
| 4 | सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि) | हे० | 0 | 0.00 | 1575.00 | 1575.00 | |
| 5 | वनों की सुरक्षा | दिन | 27.5 | 7075.48 | 0.00 | 7075.48 | |
| 6 | विविध कार्य छायांकन एवं प्रसार सहित साईन बोर्ड की स्थापना। प्रत्येक पौधा का गुणाढ्य वृक्ष अनुसार लेबलिंग, सम्पूर्ण अभिलेख संधारण आदि कार्य। | हे० | 0 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | |
| | योग- | | 115.5 | 29717.00 | 3075.00 | 32792.00 | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना हेतु कार्य दर

रकवा : 1 हे0

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु0 में) : 257.29

पौधों की संख्या - अधिकतम 150 वृक्ष प्रति हे0

| क्रम | कार्य का विवरण | इकाई | मानव दिवस | मजदूरी (रु0 में) | साधन (रु0 में) | कुल व्यय (रु0 में) | अभियुक्ति |
|------|---|------|-----------|------------------|----------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | |
| (क) | वित्तीय वर्ष 2020-21 में द्वितीय वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 257.29 | | | | | | |
| 1 | सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ्य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" ईंच गहराई तक। | हे0 | 12.00 | 3087.48 | 0.00 | 3087.48 | |
| 2 | गुणाढ्य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य। | हे0 | 10.00 | 2572.90 | 1000.00 | 3572.90 | |
| 3 | प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना आवश्यकतानुसार। | हे0 | 3 | 771.87 | 1000.00 | 1771.87 | |
| 4 | विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि) | हे0 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | |
| | योग - | | 25.00 | 6432.25 | 2200.00 | 8632.25 | |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

मात्र, वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-26/2019/505

दिनांक - 28-Aug-2020

| क्रमांक | विषय कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|--|--------------------------------------|
| 1 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40199 | HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER | 64,300.00 रुपये चौसठ हजार तीन सौ |
| 2 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40200 | DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER | 32,200.00 रुपये बत्तीस हजार दो सौ |

96,500.00

योग:
कर्मिक योग: रुपये छयानवे हजार पाँच सौ

(NANU KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|---|---|
| 3 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40201 | HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST | 64,300.00 रुपये चौसठ हजार तीन सौ |
| 4 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40202 | GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFQ SOCIAL FORESTRY DIV GARHW | 64,300.00 रुपये चौसठ हजार तीन सौ |
| 5 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40211 | DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR | 64,300.00 रुपये चौसठ हजार तीन सौ |

192,900.00

289,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|----------------|---|----------|---|---|
| 6 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40214 | GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 32,200.00 रुपये बत्तीस हजार दो सौ |
| 7 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40217 | GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION | 32,200.00 रुपये बत्तीस हजार दो सौ |
| 8 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40218 | CTRFOR003 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA | 361,500.00 रुपये तीन लाख इकसठ हजार पाँच सौ |
| | | | | 425,900.00 |
| योग: | | | | 715,300.00 |
| प्रामाणिक योग: | | | | |

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|-----------|--|--|
| 9 | S 19 240601101390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40220 | PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. | 425,700.00 रुपये चार लाख पच्चीस हजार सात सौ |
| 10 | S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40221 | HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE | 22,000.00 रुपये बाइस हजार |
| 11 | S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40223 | DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER | 11,000.00 रुपये ग्यारह हजार |

योग:

क्रमिक योग: रुपये ग्यारह लाख चौहत्तर हजार

458,700.00

1,174,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एकसेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|--|----------|---|----------------------------------|
| 12 | S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40224 | HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST | 22,000.00 रुपये बाइस हजार |
| 13 | S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40226 | GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW | 22,000.00 रुपये बाइस हजार |
| 14 | S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40229 | DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR | 22,000.00 रुपये बाइस हजार |

योग:

66,000.00

क्रमिक योग:

रुपये बारह लाख चालीस हजार

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि |
|---------|---|-----------|---|---|
| 15 | S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्बड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40232 | GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. | 11,000.00 रुपये ग्यारह हजार |
| 16 | S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्बड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40234 | GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION | 11,000.00 रुपये ग्यारह हजार |
| 17 | S 19 240601101390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्बड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA | 40237 | CTRFOR003 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA | 52,700.00 रुपये बावन हजार सात सौ |

योग:

क्रमिक योग:

रुपये तेरह लाख चौदह हजार सात सौ

(NANO KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV. JHARKHAND

74,700.00

1,314,700.00

| क्रमांक | विपत्र कोड | एक्सेस नं | निकासी एवं व्यवन पदा. | आवृत्ति राशि |
|---------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 18 | S 19 240601101390323 | 40239 | PLMFOR070 | 74,800.00 |
| | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी | | | |
| | 01 - वानिकी | | RAHUL KUMAR IFS | रुपये चौहत्तर हजार आठ सौ |
| | 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण | | D.F.O.MEDININAGAR. | |
| | 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चर्ड | | OREST.DIV. | |
| | 03 - प्रशासनिक व्यय | | | |
| | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री | | | |
| | State Scheme | | | |
| | State Scheme : | PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) | | |
| | Central Scheme : | NA | | |



योग: 74,800.00

क्रमिक योग: रुपये तेरह लाख नवासी हजार पांच सौ 1,389,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADD: PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

Run Date: 28/8/2020